<u>न्यायालय - सेशन न्यायाधीश, झालावाड़, जिला झालावाड (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश – **आलोक सुरोलिया,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>आप. विविध जमानत आवेदन सं. **156/2026**</u>

<u>सी.आई.एस. नंबर **148/2026**</u>

मोहम्मद सलाम पुत्र अब्दुल मजीद, उम्र 50 साल, निवासी कसाई मोहल्ला झालावाड, पुलिस थाना कोतवाली झालावाड, जिला झालावाड (राज.) **-प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राजस्थान राज्य। **-अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **64/2026** पुलिस थाना **कोतवाली झालावाड**
अपराध अंतर्गत **धारा 4/25 आर्म्स एक्ट**

<u>उपस्थित</u>

1. चीफ/डिप्टी/असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल झालावाड, प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्री नरेन्द्र तोमर, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> **दिनांक 07.03.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का **प्रथम** प्रार्थना-पत्र अंतर्गत **धारा 483 B.N.S.S.** में प्रस्तुत हुआ है, जिसकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई जाकर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.01.2026 को समय 7.20 पी.एम. पर बमुकाम सनराईज होटल के सामने, खानपुर रोड, झालावाड के वहां से शैलेन्द्र सिंह हैड कानि.72 पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ द्वारा मय जाप्ता दौराने गश्त प्रार्थी/अभियुक्त के चेतन्य आधिपत्य से एक अवैध धारदार छूरी, जिसके धारदार फल की लम्बाई 34 से.मी. होकर राज्य सरकार की अधिसूचना में वर्णित धारदार फल की लम्बाई 10.16 से.मी. से अधिक थी, बिना वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद किया गया। इत्यादि। इस प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। अभी प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

3. बहस जमानत प्रार्थना-पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा प्रार्थना-पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है, उसको झूठा फंसाया गया है। उससे कोई अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व बाद में आरोप-पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उसके, बाद जमानत भागने-फरार होने अथवा गवाहान को डराने धमकाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना करने को तत्पर है। प्रार्थी के विरूद्ध आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6. उभय पक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन करते हुए केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 4/25 आर्म्स एक्ट** का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के 11 प्रकरण पंजीबद्ध होना बताए गए है परंतु प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व दोषसिद्धि का कोई अभिलेख केस डायरी पर उपलब्ध नहीं है। केस डायरी के अनुसार इस प्रकरण में बरामदगी हो चुकी है तथा प्रार्थी/अभियुक्त से कोई अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त **दिनांक 24.01.2026** से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान व उसके उपरांत आरोप-पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में प्रकरण के विचारण में समय लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः उक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस प्रकरण में **स्वीकार** कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से **विद्वान विचारण**

आप.वि.जमानत आवेदन संख्या **156/2026**
मोहम्मद सलाम बनाम राज.राज्य

न्यायालय के संतोषप्रद **30,000/-रूपये** का स्वयं का **बंधपत्र** व **15,000-15,000/-रूपये** की **दो जमानतें** प्रस्तुत कर तस्दीक करा दी जावें तो प्रार्थी/अभियुक्त को **इस प्रकरण** में जमानत पर आजाद कर दिया जावे। उपरोक्त निष्कर्ष, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई निष्कर्ष नहीं है और केवल जमानत आवेदन को तय करने हेतु लिया गया निष्कर्ष मात्र है।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

8. आदेश आज दिनांक **07.03.2026** को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

Steno Gr. I
"Authenticate document"

ABDUL MAJID

Digitally signed by ABDUL MAJID
Date: 2026.03.09 14:39:45 +0530

नोटः यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।